MR. CHAIRMAN: Let me see.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM (Andhra Pradesh): It does not require any consideration. It is such a simple matter that you can dispose it of now... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Kalp Nath Rai, don't make allegations... (*Interruptions*) What did you say?

SHRI KALP NATH RAI: I have said that you want to consult the Government.

MR. CHAIRMAN: Is it correct? I am not consulting anybody. I have got my own judgment. I will have to examine it. Am I not to examine it and see what are the implications and all that? I don't understand all this. If you ask me to give my decision immediately, within one or two minutes, how can I?... (*Interruptions*)

SHRI BIPINPAL DAS: You can give us the time.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Sir, it is the most reasonable thing. If you want to examine it carefully, you can give us the time.

MR. CHAIRMAN: I have not said anything for or against. I am only saying that let me examine it and understand what it is. You are not prepared to give me that time also.

SHRI BIPINPAL DAS: We understand that you need time to examine it But you must give some indication of time that today at such and such time, before the House adjourns, you will give your ruling. Sir, how much time do you need to examine it?

MR. CHAIRMAN: Whatever time is necessary, I will take.

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

Flights of Aircraft Owned By the State Governments and Private Parties to Kathmandu.

6. SHRI PRAKASH MEHROTRA: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of aircraft owned by the State Governments and private parties were given clearance by the Department of Civil Aviation for flights to Kathmandu between March and July, 1978; and

(b) if so, what was the number of such aircraft, what are the names of the persons who travelled in them and what was the purpose of their visit in each case?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) Yes, Sir. Four (4) flights were cleared.

(b) I lay a statement on the Table of the Sabha giving the requisite information.

Statement

Details of the aircraft owned by the State Governments and private parties, which were given clearance for Flights to ***Kathmandu between*** *March and July, 1978.*

S. No.	Date of Departure for Kathmandu	Name of Operator	Request for clearance received from	Registration No. of aircraft	No. and names of persons who travelled	Purpose of visit
1	1-6-1978	Government of Bihar	Government of Bihar	VT-EFG	(1) Capt. A.P. Singh (2) Shri C.D.N. Verma } *Crew* (3) Shri S.N. Singh, Minister, Irrigation. (4) Shri K. Ramasubramanium, Chief Secretary, Bihar. (5) Shri U.K. Verma, Engineer in-Chief, Irrigation. (6) Shri N.K. Singh, Special Secretary, Irrigation. (7) Mrs. K. Ramasubramanium (8) Miss Narayani	Official.

29 -1978	Government of Madhya Pradesh	Commissioner for Madhya Pradesh, New Delhi.	VT-EFT	Shri Virendra Kumar Saklecha Smt. Chetan Saklecha Kumari Meena Saklecha Shri Raj Kumar Saklecha Shri Baleshwar Aggarwal General Manager, Hindustan Samachar co-operative Society. Shri A.S. Pinge, Security Officer. Capt. V. Chandra, Pilot.	Private visit.
3 -6-1978	Federal Aviation Administration, U.S.A.	American Embassy, New Delhi.	Saberlinear NA/ 265 N/87 or N/88.	4 crew members :— (1) Conard C. Lohner (2) Gerald E. Kinman (3) Gerald W. Hampleman (4) John W. Theno	To assist Govt. of Nepal with flight inspection of air navigational aids at Kathmand
4 2-5-1978	Way Farer Kech Corporation, U.S.A.	Ministry of External Affairs.	Gulfstream-II N 100—WK	11 persons :— Capt. Jacob Flesh, 2 Crew members and Mr. Nelson A. Rockfeller of U.S.A. and party.	Not available.

श्री प्रकाश मेहरोत्रा : मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो लिखित उत्तर दिया है उससे विदित होता है कि 29-6-78 को मध्य प्रदेश सरकार के एक विमान में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, श्रीमती चेतना सखलेचा, कुमारी मीना सखलेचा, श्री राजकुमार सखलेचा, श्री बालेश्वर अग्रवाल, एक प्राइवेट विजिट पर, स्टेट गवर्नमेंट के प्लेन से 29 तारीख को काठमांडू गये । मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि काठमांडू जाने के लिए क्लीयरेंस के लिए रिक्वेस्ट जो है उन्होंने किस तारीख को की ? नेपाल जो है वह फारेन कन्ट्री है तो क्या सखलेचा जी ने प्रधान मंत्री से नेपाल जाने की स्वीकृति ली थी और वे कहां ठहरे थे, वे मुख्य मंत्री की हैसियत से गये थे, क्या प्रोटोकोल था, क्या आफीशियली रिसीव किये गये, उनको इंडियन एम्बेसडर रिसीव करने आये क्या, और क्या उनका बैगेज चेक हुआ या नहीं हुआ ? और क्योंकि वे प्राइवेट विजिट पर गये थे तो उस प्लेन का खर्च किसने वहन किया । मान्यवर, स्थिति यह है कि हिन्दुस्तान से काठमांडू के लिए लगभग 40 फ्लाईट्स हैं हर सप्ताह में । इंडियन एयरलाइन्स की हैं, रायल नेपाल एयरलाईन्स की हैं, थाई एयरलाइन्स की हैं तथा पैसेफिक कैथी एयरलाईन्स की हैं । वे प्राइवेट विजिट पर गये थे तो सब प्लेन अवेलेबुल थे तो क्या औचित्य था कि वे स्टेट गवर्नमेंट का प्लेन ले गये ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सभापति जी, जहां तक जैसा बहुत साफ कहा गया है कि प्राइवेट विजिट में गये...

श्री प्रकाश मेहरोत्रा : सुनाई नहीं पड़ रहा है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जैसा उत्तर में कहा गया है कि वे अपनी निजी यात्रा पर गये थे । अब निजी यात्रा पर जाने के बाद विमान का खर्च किसने वहन किया यह केन्द्र सरकार के अधिकार की बात नहीं है । वह तो राज्य सरकार जानेगी कि वे राज्य सरकार से गये थे या निजी पर गये थे । जहां तक कस्टम क्लीयरेंस का सवाल है, कोई भी उड़ान दूसरे देश में जाने के पहले जी० डी० जी० सी० ए० है उससे क्लीयरेंस लिया जाता है और उड़ाने भरने के पहले जो फ्लाईट जाती है उसके अनुसार उनको कस्टम से क्लीयरेंस लेना पड़ता है । जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार उनको कस्टम से क्लीयरेंस मिला था (*Interruptions*) दोनों जगह यहां से जाने के लिये और वहां उतरने के लिये जैसा उनका आग्रह--26 तारीख को उनके कमिश्नर से प्राप्त हुआ उसके बाद डी० जी० सी० ए० काठमांडू के सिविल अविएशन अथारिटी जो हैं उनका सम्पर्क किया और उनसे सम्पर्क करने के बाद क्लीयरेंस दिया यहां से जाने के लिए और वहां उतरने के लिए जब वे वापस आये तो वापस आने के बाद भी जो पालम का कस्टम था वहां भी उनका क्लीयरेंस हुआ और इस तरह से जहां तक कस्टम का सवाल है कस्टम से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वहां भी कस्टम क्लीयरेंस हुआ था । क्योंकि वे निजी विजिट पर थे इसलिए प्रधान मंत्री से उन्होंने कोई इजाजत ली या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं । जब कस्टम्स का क्लीयरेंस हुआ, तो आदमी, लगेज और हवाई-जहाज का भी हुआ ।

श्री प्रकाश मेहरोत्रा : मान्यवर मंत्री महोदय ने यह कहा कि इनको मालूम नहीं कि उस पर जो खर्चा हुआ वह किसने दिया । तो मेरी पहली मांग यह है कि वे पता लगा कर बता दें कि यह खर्चा किसने किया । दूसरा प्रश्न यह है कि...

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : स्टेट गवर्नमेंट का प्लेन था, तो स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया होगा ।

श्री प्रकाश महरोत्रा : आप उत्तर न दीजिए । मंत्री जो ले दे दिया है । मान्यवर, श्री सकलेचा एमरजेंसी के समय पैरोल पर छूटे । श्री ओम मेहता जी जो इसी सदन के मेम्बर हैं आप उनसे पता लगा ले कि वे किस ग्राउण्ड पर छूटे थे । वे बीमारी का बहाना करके छूटे थ । वे सन्देहास्पद व्यापार करते थे, बहरहाल उनमें नहीं जाता हूं । मान्यवर, मंत्री जो खुद मध्य प्रदेश के हैं और यह जानते हैं कि श्री सकलेचा मन्दसोर जिले के रहने वाले हैं जहां पर दुनिया में सब से ज्यादा अफीम पैदा होती है और सब से अच्छी अफीम होती है । मान्यवर, मुझे काठमांडू से सूचना मिली है कि यह इसलिए प्लेन ले गये कि उस प्लेन में सैंतीस लाख रुपए गये और काफी मात्रा में अफीम गई । जैसा इन्होंने कहा कि वहां कस्टम्स क्लीयरेंस हुआ था, यह बात सही नहीं है । वहां केवल इण्डियन एम्बेसडर आये थे, और कोई आफिशियल नहीं आया । कस्टम्स क्लीयरेंस नहीं हुआ । वह माल वहां बिका क्योंकि अफीम नेपाल के माध्यम से चीन स्मगल होती है । तो, काठमांडू में इस तरीके की चर्चा है जिससे कि हमारे देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है । तो क्या यह जानकारी देंगे, अगर मालूम है ? यदि मालूम नहीं है, तो पता लगा कर बताने की कृपा करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : इस तरह के चार्ज तो कोई भी लगा सकता है । लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया, कस्टम्स ने जब यहां क्लीयरेंस दिया तो इस बात की पूरी तरह जांच की गई थी । मान्यवर सदस्य ने जो आरोप लगाया है, वह गलत है, निराधार है ।

श्री प्रकाश महरोत्रा : क्या उस समय आपको मालूम था कि उस प्लेन के अन्दर क्या जा रहा है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : कस्टम्स में जब उसकी जांच की गई थी, तो उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री प्रकाश महरोत्रा : आरोप तो मैं अब लगा रहा हूं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : दूसरे जो काठमांडू में देखने की बात की गई, तो काठमांडू सरकार का क्या कस्टम्स प्रोसीजर है, वह तो उनके देखने की बात है ।

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : वहां जाने का परपज क्या था ?

एक माननीय सदस्य : निजी था ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : निजी था, इसकी भी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

DR. RAFIQ ZAKARIA: Sir, you allow us also to put questions. You are conducting the House without any rules and regulations. All these weeks, on points of order which are actually not points of order discussion is going on for hours. Somebody who is expected to put one question puts ten questions and we, who want to abide by the rules, are made to suffer. We shall not tolerate it.

MR. CHAIRMAN: He wants some clarifications. He put the original question.

श्री प्रकाश मेहरोत्रा : मान्यवर, पहले इन्होंने उत्तर में यह कहा, निश्चित जवाब दिया कि वहां कस्टम्स क्लियरेंस हुआ था । दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि वहां पर क्या कायदा है तो दोनों जो उत्तर दिए हैं, उस में वैरिएन्स है । इन्होंने गलत इनफार्मेशन दी है ।

DR. RAFIQ ZAKARIA: Is it a private matter between one Minister and one Member?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : इसमें तरीका यह है कि....

MR. CHAIRMAN: Why are you replying? Let the Minister reply.

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सभापति जी, मैंने कहा था कि कस्टम्स की जांच हुई थी । लेकिन उनके कस्टम का क्या प्रौसीजर है इसकी मुझे जानकारी नहीं है । यह जरूरी नहीं कि मुझे इसकी जानकारी हो । लेकिन अलग-अलग देशों में अलग अलग प्रौसीजर हैं जिसके अनुसार वे कस्टम्स क्लियरेंस करते हैं ।

DR. RAFIQ ZAKARIA: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether this State aircraft which has a licence only to travel within the confines of the country has also a licence to cross the border and undertake an international journey. Sir, according to my information the pilot who piloted the aircraft did not have an international licence. If that is so, how was he allowed to take this aircraft which belonged to a State Government and which was to operate within certain restrictions to go to an international area? Thirdly, 1 P. M. Sir, my information is that the aircraft, after coming back from Kathmandu, instead of landing at Delhi, where it should have landed, first landed at Bhopal within the jurisdiction of the Chief Minister, so that whatever was brought in or whatever was done could have been easily managed and thereafter only it came to Delhi. I would like to have a clarification on all these three points from the Minister.

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सभापति जी, जहां तक विमान के अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर चलने का सवाल है और पाइलट का भी अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान करने का सवाल है, इन तमाम चीजों को देख कर ही डी० जी० सी० ए० ने दूसरे देश में, नेपाल में, जाने की इजाजत दी थी । जहां तक दूसरे सवाल का संबंध है, विमान पालम में न उतर कर भोपाल गया और मेरी जानकारी के अनुसार वह विमान काठमांडू से पालम उतर कर कस्टम्स चेंकिंग के लिए रोका गया था ।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, सब से पहले तो मंत्री महोदय से मैं यह कहूंगा कि जब कोई वी० आई० पी० पार्टिकुलरली जब कोई चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट का ट्रेवल करता है, जब वह विदेश जाता है तो कस्टम्स क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है । वह तो बड़े इम्पार्टेन्ट डिप्लोमेटिक पोजीशन के आदमी हैं उनको एम्बेसेडर लेने के लिए गया होगा—केवल जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं ।

मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं जैसा जकरीया साहब ने कहा कि पाइलट का इन्टरनेशनल लाइसेंस नहीं था और उसी तरह से एक पाइलट जो आप का एयर बस की ट्रेनिंग के लिए गया था उसको वहां पर लाइसेंस मिला बिलों स्टैंडर्ड का मिला—मिनिस्टर मोहनी दास गुप्ता कलकत्ता—को यद्यपि प्रश्न उस से संबंधित नहीं है, लेकिन चूंकि पहले बात आ गई इसलिए कहता हूं और उन्हें आपने रेगुलर सर्विस में इम्प्लाय किया, चूंकि बहुत से लोगों की जिंदगी का सवाल तो मैं जानना चाहूंगा क्या यह विमान का संचालन आपने इस पाइलट को दिया है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : माननीय सदस्य ने जो सवाल किया उसका इस प्रश्न से संबंध नहीं है । जो जानकारी चाहिए वह तत्काल उपलब्ध नहीं है । लेकिन जो जानकारी

उन्होंने दी है मैं उसके संबंध में जांच करूंगा.. (*Interruptions*)...

उत्तर मैं सदन के सामने अभी न दूं लेकिन जानकारी माननीय सदस्य को दे दूंगा। जहां तक वी आई पी के जाने का प्रश्न है, दो स्थिति होती हैं: यदि वह राजकीय यात्रा पर रहे तो प्रोटोकोल आबजर्व किया जाता है और उससे संबंधित तमाम बातें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जरिए प्रोसेस होती हैं लेकिन अगर वे निजी यात्रा पर जाते हैं तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा वे तमाम प्रोटोकोल आबजर्व करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए जैसा जवाब में कहा गया है निजी यात्रा पर गए थे इसीलिए एक्सटर्नल अफेयर्स के जरिए तमाम जो औपचारिकताएं हैं उनका निर्वाह करने की आवश्यकता नहीं है।

DR. RAFIQ ZAKARIA: Sir, I am afraid, the Minister has been misinformed or has not been properly informed. I would like that the licence of the pilot and the permission granted to him to pilot the international flight should be placed on the Table of the House. Let these things be placed on the Table of the House. The log book of the flight should also be placed on the Table of the House. I sympathise with the Minister but he is trying to protect the Chief Minister.

डा० भाई महावीर: मेरा प्रश्न यह है महोदय कि मुख्य मंत्री या प्रदेश सरकारों के मंत्री राजकीय विमानों का उपयोग निजी यात्राओं के लिए कर सकें, यह क्या इसके पहले भी होता रहा है या कि यह अभी होना शुरू हुआ है। यदि पहले से यह होता आया है तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि पुराने मुख्य मंत्रियों से ... (*Interruptions*)... अटल जी यह फैसला करेंगे कि यह ठीक है कि नहीं, बुलवाना है कि नहीं है...

(*Interruptions*)

What is this? Let the Minister say that. Are you the Minister?

MR. CHAIRMAN: Dr. Bhai Mahavir, you put the supplementary pertaining to the present Short Notice Question put by Shri Mehrotra, not about the past or the future.

DR. BHAI MAHAVIR: It is a question arising out of the main question... (*Interruptions*).

DR. RAFIQ ZAKARIA: I don't understand what kind of a philosophy and approach Mr. Mahavir has.

DR. BHAI MAHAVIR: Sir, my question is very relevant. I shall read out to you the main question if you direct me.

MR. CHAIRMAN: I have read it.

DR. BHAI MAHAVIR: I am asking whether the use of the State aircrafts by the Chief Ministers...

MR. CHAIRMAN: Even the period is mentioned there, March and July 1978. You want to have information of the past. How can you get it?

DR. BHAI MAHAVIR: I want to know if the use of such State aircrafts for private trips has been the practice in this country for some time or it has been introduced now between this period, March and July 1978. Is it irrelevant?

MR. CHAIRMAN: For these months you can ask.

DR. BHAI MAHAVIR: Kindly permit me to complete my question... (*Interruptions*). Why do you become so strict, Sir, when I am on my legs? Others may have their say for hours. If you do not want to allow me, I withdraw my supplementary. It is perfectly all right.

MR. CHAIRMAN: How can you withdraw when you have put it before the House?

DR. BHAI MAHAVIR: People will talk of heavens, kings and cabbages and they will inject everything into the question and you will permit it. I do not know how you are liberal at

times with others and you are so strict when I want to raise something.

MR. CHAIRMAN: Whether a supplementary arises out of the main question or not is a matter to be decided by the Chairman. If the Minister is prepared to reply, I have no objection.

DR. BHAI MAHAVIR: I was submitting it to you. If you rule out the supplementary, I shall be perfectly abiding by your decision. But Sir, at least permit me to complete. Some Members stand up and talk about the procedures, then they stand up for obstructing other Members. I have not even completed my question, Sir. Let me complete it and you can then rule it out. I wanted to know in case such a practice has been there....

DR. RAFIQ ZAKARIA: Whether there is a procedure to raise a matter on a point of order and speak for hours...

DR. BHAI MAHAVIR: This is the respect you have for the procedure.

DR. RAFIQ ZAKARIA: Everyone is doing like that. The Chairman has made a mockery of rules and procedures... (*Interruptions*).

DR. BHAI MAHAVIR: Don't make further mockery. Sir, I wanted to know if there has been such a practice and if so, whether the charges are debited to the persons concerned. And in case the charges are debited, is it done promptly and money collected or has it been delayed unduly as in the case of other earlier cases wherein they are now going to the court to recover the costs from the parties sitting over there.

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सभापति जी, इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है कि वगत में कितने मुख्य मंत्रियों ने निजी उड़ाने राजकीय विमान से की हैं . . .

एक माननीय सदस्य : विदेश की।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : हां, विदेश की, और देश की भी दोनों की जानकारी इस समय नहीं है। और जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे अंश का संबंध है उसके चार्जेज की वसूली के संबंध में मैंने पहले निवेदन किया कि इस से केन्द्रीय सरकार का कोई संबंध नहीं है। स्टेट गवर्नमेंन्ट के प्लेन से जो लोग गये थे निजी यात्रा पर उस के बारे में यह राज्य सरकार का काम है कि वह उन से वसूली करे या न करे।

DR. RAFIQ ZAKARIA: Sir, would you allow me? I want to ask another supplementary arising out of the supplementary of Dr. Bhai Mahavir. I want to know...' (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No, no, you have already put one supplementary.

DR. RAFIQ ZAKARIA: You mean to say, Sir, the way things have been going on for all these weeks and months together, when we have certain genuine supplementaries to ask to expose the Government, you will not allow us?

MR. CHAIRMAN: At least during the Question Hour we have been correct. There may be some confusion here and there on other occasions but during the Question Hour, one Member is entitled to put only one supplementary. He cannot ask a second supplementary. This is a simple thing.

श्री कल्प नाथ राय : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सखलेचा साहब का भोपाल से जो प्लेन उड़ा नेपाल जाते ए क्या वह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा था या नहीं ?

दूसरी बात यह कि क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री सखलेचा ने कांठमांडू में 37 लाख रुपये की अफीम बेचकर लायडस् बैंक में वहां जमा किया ? काठमांडू

में यह आम चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 37 लाख रुपये की अफीम बेचकर वहां के लायड्स बैंक में जमा किया।

तीसरी बात यह कि बालेश्वर अग्रवाल हिन्दुस्तान समाचार के जब अटल बिहारी वाजपेयी गये सिफारिश में तो वहां गये, नेपाल गए तो वहां गये। क्या बालेश्वर अग्रवाल, हिन्दुस्तान समाचार के लिए करोड़ों रुपया सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके इकट्ठा कर रहे हैं? हिन्दुस्तान समाचार के चीफ गवर्नमेंट के प्लेन के अन्दर गये और उन्होंने कितना पया हिन्दुस्तान समाचार के लिए नेपाल में इकट्ठा किया?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सभापति जी, जवाब तो मैंने दे दिया है कि विमान पालम हवाई अड्डे से उड़ा इसका अर्थ यह कि भोपाल से आकर दिल्ली में का फिर नेपाल गया।

जहां तक दूसरे प्रश्न की बात है, उसका जवाब मैंने दे दिया है। अगर आपके पास निश्चित जानकारी हो, अधिकृत हो तो हम बहुत उपकृत होंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का किसी भी मंत्री के बारे में या सरकार के अंग के बारे में कोई बेसरिखी बात लोगों के दिमाग में हो अगर आप जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं तो निश्चित जानकारी के आधार पर कहिये कि यह जानकारी हमको है। उसकी जांच करने में कोई दिक्कत माननीय प्रधान मंत्री जी को नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई बात हो नहीं सकती। अगर केवल राजनीतिक बात करनी है तो सदन से बाहर बात कर सकते हैं।

श्री कल्पनाथ राय: हिन्दुस्तान समाचार के बारे में बताइये।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जहां तक बालेश्वर अग्रवाल जी के जाने की बात है, जहां तक मैंने कहा कि वे निजी यात्रा पर गये थे। उनको क्यों साथ लिया मैं नहीं जानता।

श्री कल्पनाथ राय: साथ क्यों गये?

(Interruptions)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : यह मैं क्या बता सकता हूं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन की जानकारी में है कि प्रारम्भ में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को दिल्ली से सिक्किम जाना था जिसके लिए उन्होंने पहले इजाजत मांगी थी परन्तु सिक्किम का उस दिन मौसम खराब होने के कारण वह यात्रा रद्द की गई, प्राइमरिली यह हवाई जहाज सिक्किम के लिये जाने वाला था?

श्री कल्पनाथ राय: सभापति महोदय, सिक्किम का सवाल क्या है? सिक्किम किस काम से जा रहे थे?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सभापति जी, जो मेरे पास इस समय जानकारी है उस जानकारी के अनुसार 26 तारीख को मध्य प्रदेश के दिल्ली स्थित कमिश्नर ने डी० जी० सी० ए० को 27 और 29 के बीच में मुख्य मंत्री श्री सखलेचा के विमान के काठमांडू जाने के बारे में क्लियरेंस के लिए लिखा था और क्लियरेंस मिलने के बाद 29 तारीख को पालम से वह काठमांडू गये और 30 तारीख को पालम हवाई अड्डे पर पहुंच गये। इससे अधिक जानकारी मुझको नहीं है।

श्री एन० पी० चौधरी : मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हवाई जहाज भारतवर्ष से नेपाल गया था क्या उसे विदेश जाने की अनुमति प्राप्त थी? यदि है तो उसके कागजात टेबुल पर रखें।

दूसरी बात यह है कि जो पाइलेट था उसके बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसके पास इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस था? माननीय सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस पाइलट को इन्टरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस कब मिला और वह

कागजात यहां पर रखें। तीसरा प्रश्न यह है कि जैसा हमारे और भाइयों ने कहा कि लायड्ज बैंक में पैसा जमा किया गया है तो वह कहां तक सत्य है और इसकी जांच कराके क्या आप इसकी रिपोर्ट सदन में रखेंगे। ये तीन बातें मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

DR. RAFIQ ZAKARIA: Don't be in a hurry to reply.

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : इसका जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया है। जब विमान को यहां से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान भरने की इजाजत दी गई थी उसके पहले ही उसको देख लिया गया था

(Interruptions)

श्री एन० पी० चौधरी : सदन पटल पर रखेंगे या नहीं ?

DR. RAFIQ ZAKARIA: Did he have the licence or you gave the clearance?

श्री एन० पी० चौधरी : बात साफ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं और यह इसका स्पेसिफिक उत्तर दें कि उसे इन्टरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस कब मिला ? यह तो नहीं कि अगर उसे आज फ्लाइट करनी है तो आज ही लाइसेंस मिला हो ?

DR. RAFIQ ZAKARIA: Let the Minister take more time to reply.

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जैसा मैंने निवेदन किया कि डी० जी० सी० ए० से क्लीयरेंस के बाद बराबर उसको देख लिया गया था। उसके पास इन्टरनेशनल फ्लाइट लाइसेंस है।

डा० रफ़ीक जकरिया : वैलिड लाइसेंस दो तरह के होते हैं, एक इन्टरनेशनल और दूसरा नेशनल। कौन या लाइसेंस उसे दिया गया था ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान भरने का लाइसेंस दिया गया था। अगर उसके पास राष्ट्रीय उड़ान भरने का लाइसेंस होता तो कैसे उसे अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान भरने की इजाजत दी जा सकती थी ?

डा० रफ़ीक जकरिया : आप इजाजत दे सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार डी० जी० सी० ए० ने अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर उड़ान भरने की इजाजत दी थी। कब उसको लाइसेंस मिला इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री एन० पी० चौधरी : अगर सभापटल पर इसको रख दें तो उन कागजात से हमको सारी जानकारी मिल जाएगी *(Interruptions)*

DR. RAFIQ ZAKARIA: Why does he not agree to that? Let all the papers be laid on the Table. Let the Minister put them on the Table of the House.

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : कौन से पेपर ?

DR. RAFIQ ZAKARIA: Licences, application, flight clearance and all other relevant documents pertaining to the flight.

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : जैसा कि सदन को मालूम है और सदन में भंडारी जी ने कहा तथा मंत्री महोदय ने स्वीकार किया कि सखलेचा साहब को सिक्किम जाने की परमिशन मिली थी वह नेपाल गए तो मैं जानना चाहता हूं कि किस कारण वह नेपाल गए ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जब दिल्ली से काठमांडू जाने का सीधा रास्ता

है तो दूसरे रास्ते से जाने का उनका क्या परपज था ? मैं जहां तक समझता हूं सरकार यह जानकारी देने में असमर्थ है कि निजी यात्रा की वजह से यह करना पड़ा। यह तो वही हालत है।

MR. CHAIRMAN: Now please resume your seat. How can you go on like that?

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : बहुत गम्भीर मामला है। मंत्री महोदय यह सब कह नही सकते और यह उसी तरह से है जिस तरह से मोरारजी-चरण सिंह प्रचार में हो रहा है और उसे सभा पटल पर रखने में असमर्थ है चूंकि गोपनीय कहा जाता है। यह बहुत गम्भीर मामला है। ऐसा कहा जाता है कि सखलेचा साहब अफीम के व्यापारी हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि निजी क्या कारण था ? क्या वह किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे या कोई उनका अपना निजी स्वार्थ था। यह मंत्री महोदय बतायें। श्रीमन्, जो यह बात कही गई है कि श्री सखलेचा 40 लाख रुपयों का कारोबार करते हैं, यह बहुत गम्भीर विषय है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस प्रकार से निजी कार्यों के लिए विमानों को उड़ाने की इजाजत क्यों दी और उनको इजाजत देने के क्या कारण थे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सभापति जी, इस बात का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि सिक्किम जाने के सम्बन्ध में अगर कोई योजना रही हो तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। जहां तक नेपाल का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में कस्टम आदि की औपचारिकतायें..

(Interruptions)

DR. RAFIQ ZAKARIA: Sir, this is very strange that he does not know that the original permission was for Sikkim, as Mr. Bhandari has said. That means he is not in full knowledge of all that has happened, and the Minister should know all this

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : श्रीमन्, जो कुछ मेरे पास जानकारी है उस जानकारी के अनुसार केवल काठमांडू जाने के लिए डी०जी०सी०ए० से क्लीयरेंस लिया था। चूंकि सिक्किम इस देश का अंग है, इसलिए वहां जाने के लिए उनको अलग से इजाजत लेने की जरूरत नही पड़ती। उनकी कोई दूसरी योजना थी या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नही है।

MR. CHAIRMAN: All the Members who have put supplementaries want to ask. Mr. Zakaria, if after every supplementary, you want a clarification then I don't know what to do.

DR. RAFIQ ZAKARIA: But he should satisfy us. This is a very serious matter.

MR. CHAIRMAN: Therefore, we can request the Minister to supply more information.

DR. RAFIQ ZAKARIA: If you do that, it will be all right.

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK: But what sort of additional information do they want?

MR. CHAIRMAN: Now papers to be laid.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: But, Sir, my question is there.

SHRI JAHARLAL BANERJEE: I want to draw your attention by raising a point of order. When the Members want to elicit some information from the Minister, it is expected that he must give definite answers to definite questions. He is evading all those questions and not caring to lay the information on the Table of the House.

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सभापति महोदय, मैं पहले ही बहुत स्पष्ट कह चुका हूं कि जहां तक उड़ानों का सम्बन्ध है...

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन् मेरा सवाल यह है कि हमारे प्रधान मंत्री जी जब अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जाते हैं तो एयर इंडिया के प्लेनों से जाते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को अपने प्राइवेट प्लेनों में जाने की परमिशन डी०जी०सी०ए० ने क्यों दी, यह स्पष्ट किया जाय। मैं समझता हूं कि उन्होंने यह बहुत ही गलत काम किया है। State plane is meant for use inside the country. इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात का जवाब देने की कृपा करें कि आपके डायरेक्टर जनरल ने इस प्रकार इजाजत क्यों दी? क्या यह नियमों के खिलाफ नहीं है?

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now let him reply. Are you in a mood to hear him or not? If you keep quiet, then I will allow; otherwise I will adjourn the House.

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सभापति जी, जैसा कि माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी कि जो विवरण मैंने सदन के पटल पर रखा है उसमें मध्य प्रदेश के अलावा तीन और विमानों का जिक्र है। एक तो बिहार सरकार का विमान गया था जो कि सरकारी काम से गया था। इसके अलावा दो विदेशी विमान गये थे। ये विमान काठमांडु को गए थे। और उसकी इजाजत उनको दी गई थी। जहां तक डी०जी०सी०ए०, नागरिक विमानन विभाग का सवाल है उसका काम केवल इतना देखना है कि जो विमान जा रहा है वह टैकनीकली दृष्टि से इजाजत देने योग्य है या नहीं। अगर टैक्नीकली कोई बाधा नहीं है तो वह किस प्रयोजन से जाता है इसको देखने का काम हमारा नहीं है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : बिहार गवर्नमेंट का प्लेन वहां क्यों गया?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सरकारी काम से गया।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : वह सरकारी काम से नहीं गया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सरकारी काम से गया।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : सरकारी काम से नहीं गया। यह दुरुपयोग है अपने स्टेट प्लेन का। चा बिहार गवर्नमेंट का सवाल हो चाहे...

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : अगर माननीय सदस्य को ऐसा लगता है कि इसमें दुरुपयोग हुआ है तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वह राज्य सरकार और वहां की विधान सभा का काम है कि वह इसे देखें। माननीय सदस्य वहां के मुख्य मंत्री से बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम वैधानिक दृष्टि से किसी भी तरह से इजाजत देने से, क्लेरियरेंस देने से रोक नहीं सकते। जहां तक माननीय सदस्य ने कस्टम के सम्बन्ध में सवाल उठाया है, जो जानकारी मुझे कस्टम विभाग से मिली है वह मैंने प्रस्तुत कर दी है यदि वे अधिक जानकारी चाहते हैं तो वे कस्टम से पूछ सकते हैं। कस्टम विभाग ज्यादा विस्तृत तरीके से और विस्तार के साथ उनकी शंकाओं का समाधान कर सकत है।

SHRI INDRADEEP SINHA: My question is simple. If any Indian national wants to go outside the country he has to seek permission fror the Ministry of External Affairs. He has to get clearance from the Ministry of Finance and the Reserve Banl He has to get clearance from th

Home Ministry. There is a law making exception in respect of foreign hospitality. The hon'ble Minister has said that on the 26th of June the Resident Commissioner of Madhya Pradesh made a request for permission. In this plane everybody was not a Minister. Only one of them was a Minister, Chief Minister Mr. Saklecha. Others were ordinary persons. Did they get the necessary permission from the Ministry of External Affairs, from Finance Ministry and from the Home Ministry?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सभापति जी, जहां तक नेपाल जाने का सवाल है उसके लिए न तो पासपोर्ट की ही जरूरत है और न वीसा की जरूरत है। इसलिए कोई निजी विमान भी वहां जा सकता है। फाइनेंस का जहां तक सवाल है वहां मंत्रालय में जाने की जरूरत नहीं थी। पैसों का जहां तक सवाल है मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे हमारा कोई सम्बन्ध नही है। इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है। निजी यात्रा पर वह गए थे इसलिए कौन भुगतान करे इस पर राज्य सरकार ही निर्णय करेगी।

श्री हरि सिंह भुगवावा महिडा : महोदय, मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि अभी भण्डारी जी ने बताया कि वह प्लेन सिक्किम जाने वाला था मक्लेचा जी को लेकर। परन्तु हवामान की वजह से वह सिक्किम नहीं जा पाया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि काठमांडू जाने का प्रश्न कब पैदा हुआ और उन्होंने काठमांडू जाने की परमिशन कब ली?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सभापति जी, अगर सिक्किम जाने के बारे में उनके मन में कोई विचार रहा होगा तो उसकी जानकारी मुझको नहीं है। जहां तक नेपाल जाने का सवाल है उसके सम्बन्ध में भी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री सीताराम केसरी : सिक्किम में एयरफील्ड नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जब सिक्किम में एयरफील्ड नहीं है तो सिक्किम जाने का सवाल ही नहीं है।

श्री कमलनाथ झा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री कौशिक जी से जानना चाहता हूं और कहना चाहता कि वे एक प्रमुख राजनेता रहे । उनका सार्वजनिक जीवन भी बड़ा ही उज्ज्वल रहा है और मैं समझता हूं कि इस तरह की किसी घटना पर पर्दा डालने की कोशिश उनके जैसे व्यक्ति के लिये मैं उचित नहीं समझता हूं। क्योंकि उनकी अपनी एक रेपूटेशन है काम करने के अपने कायदे हैं, अपने तरीके है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इंडियन एयर स्पेस भारत की जो विमान सेवा है, इस विमान सेवा के निश्चित नियम और कानून है और उसका उपयोग नागरिक और सरकारी आफिस भी करते हैं। लेकिन जिस ढंग से मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने निजी यात्रा की ओर बहाना करके इंडियन एयर स्पेस के लांज को अपने फेवर में ट्विस्ट किया---कोई बड़ी बीमारी होती, कोई बड़ी समस्या होती, जीवन-मरण का संबंध होता तो कोई कुछ न कहता। उन्होंने इस स्पेस के प्रोटोकोल का वायलेशन करके टेक्नीकली उसकी स्वीकृति ले ली परन्तु उनके ऊपर अलीगेशन है । आज तक बहुत से मंत्री वहां गये। बहुत से मुख्य मंत्री भी जाते हैं। परन्तु किसी के ऊपर सार्वजनिक रूप से काठमांडू में अफीम की स्मगलिंग करके रुपया जमा करने का अभियोग नही लगाया गया है । लेकिन भारत के बहुत महत्वपूर्ण राज्य के मुख्य मंत्री के विरुद्ध इस तरह के एलीगेशंस हैं, यह मेरा पहला प्वाइंट है। इस सदन में इस बात को उठाया जा रहा है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं चूंकि अगर कोई रेल से जाए तो रेलवे अथार्टीज की जिम्मेदारी हो जाती है, अगर कोई पानी से जाए तो पानी वालों की जिम्मेदारी हो जाती है और जो हवाई जहाज से जाए

अर्थात् आपके सूत्र को माध्यम बनावे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है लेकिन आप कहते हैं कि कस्टम विभाग की जिम्मेदारी है । आपका यह कहना ठीक नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन देंगे कि सरकार की ओर से इस सारी समस्या की जांच करायेंगे या वे सदन की एक कमेटी बना कर जांच करायेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सभापति जी एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जैसे माननीय सदस्यों ने कहा । मैं कभी न तो अपने पुराने राजनीतिक जीवन में और न अभी जब से मैंने सरकारी पद सम्भाला है गलत चीज पर पर्दा डालने की कोशिश करता हूं । जो कुछ जानकारी मेरे पास है उस जानकारी के आधार पर मैं जवाब दे रहा हं । उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जितनी औपचारिकतायें थी चाहे कस्टम की हों या डी० जी० सी० ए० की थीं सब पूरी की गई । जो जानकारी है उस जानकारी के आधार पर कुछ तथ्य जानते हैं और वे कस्टम विभाग से संबंधित प्रश्न थे । तो माननीय सदस्यों को मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो जानकारी मुझ को मिली है मैं उसी के आधार पर उत्तर दुंगा । मगर यह कस्टम विभाग से सीधा सवाल है । अगर वे अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कस्टम विभाग से हासिल कर सकते हैं और उनको ज्यादा जानकारी मिल सकती है ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

The urban land (ceiling and regulation) (Sixth Amendment) Rules, 1978 and related paper.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (3) of section 46 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Works and Housing, Notification G.S.R. No. 1016, dated the 12th August, 1978, publishing the Urban Land (Ceiling and Regulation) (Sixth Amendment) Rules, 1978, together with an Explanatory Memorandum thereon. [Placed in Library See No. LT-2698|78].

Papers under the air corporations rules, 1954

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विमान निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उपनियम (5) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) इंडियन एयरलाइंस के 1978–79 के वर्ष के लिए राजस्व और व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश और 1977–78 के वर्ष के लिए संशोधित प्राक्कलन ।

(ii) 1978–79 के वर्ष के लिए एयर इंडिया के राजस्व और व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश ।

[Placed in Library. *See* No: LT-2716/78 for (i) and (ii)].

(iii) इंडियन एयरलाइंस की 1976-77 के वर्ष की वास्तविक आंकड़ों का सारांश, 1977–78 के वर्ष के लिए संशोधित प्राक्कलन और 1978–79 के वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन ।

(iv) एयर इंडिया के 1976–77 के वर्ष के लिए वास्तविक आंकड़ों का सारांश 1977–78 के वर्ष के लिए बजट तथा संशोधित